संख्या-11/49-1-2023

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषयः प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की आदर्श उपविधियों को अंगीकार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-R11016/10/2022-1&P दिनांक 05.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य की सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली के आलोक में वॉछित संशोधन करते हुए मॉडल बॉयलाज को प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में अंगीकार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-सी0-06विधि-निर्वा0, दिनांक 10.01.2023 द्वारा उक्त आदर्श विधि को समस्त मण्डलीय उप निबन्धकों जो कि सक्षम प्राधिकारी है को प्रेषित करते हुए आदर्श उपविधि के वे सभी अंश जो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति तथा उ0प्र राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के अनुरूप है को अंगीकृत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित कर दिया गया है, एवं शेष अंश जिनके संबंध में अधिनियम नियमावली अथवा निर्वाचन नियमावली में संशोधन/परिवर्धन आवश्यक है का अध्ययन कर, सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-14 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में उपविधियों

को अंगीकृत कराते हुए निबन्धन हेतु तय प्रक्रिया के अनुसार सभी पैक्स की विशेष/सामान्य निकाय की बैठक कराकर आगामी एक माह में निबन्धन पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया उक्त स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11(1)/49-1-2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

2-अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।